माइन्स एवं पेट्रोलियम विभाग के प्री समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 63 हजार करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए।

माइन्स विभाग के प्री-समिट में 63463 करोड़ रुपए के एम.ओ.यू. हुए

मुख्यमंत्री ने कम्पनियों को राजस्थान के मुनाफे को राज्य में निवेश करने का आग्रह किया

जयपुर, 8 नवंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सानिध्य में माइन्स एवं पेट्रोलियम विभाग के राइज़िंग राजस्थान प्री समिट में शुक्रवार को 63 हजार 463 करोड़ रु. के एम.ओ.यू. हस्ताक्षिरत और आदान प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित एम.ओ.यू. समारोह में राज्य सरकार की और से प्रमुख शासन सचिव माइन्स टी. रविकान्त व निदेशक माइन्स भगवती प्रसाद कलाल और एम.ओ.यू.करने वाली संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच करार पत्रों का आदान प्रदान हुआ।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निवेशकों से आगामी 9, 10,11 दिसंबर को आयोजित राइज़िंग राजस्थान समिट में अधिक अधिक से निवेश प्रस्ताव के साथ आगे आने का आव्हान करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया है।

शर्मा ने जापान और कोरिया यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह से, कोरिया की कोरियन स्टोन कंपनी सहित अन्य कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है। मेरा आग्रह है कि राजस्थान में काम कर रही देशी विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को प्रदेश में ही औद्योगिक विकास के लिए निवेश करें, ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकें।

> ■ आज के एम.ओ.यू. सहित अब माइनिंग व पेट्रोलियम सैक्टर में 1 लाख 41 हजार 184 करोड़ के एम.ओ.यू. हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में सोना, चांदी, लेड, ज़िंक, मार्बल, ग्रेनाइट सहित विभिन्न खनिजों के विपुल भण्डार हैं। सीकर के रोहिल में यूरेनियम के खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। वहीं, बाड़मेर, जालौर, नागौर आदि में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भण्डार मिले हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य की नई एम-सैण्ड नीति में प्रदेश में एम-सैण्ड इकाइयों के संचालन में आसानी एवं उत्पादन की दृष्टि से निवेशकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निवेशकों को रिप्स के माध्यम से सहायता और आमनागरिकों को बजरी के विकल्प के रुप में एम-सैण्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल है। शर्मा ने कहा कि राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान की विपुल खनिज संपदा की चर्चा करते हुए कहा कि रोडमैप बनाकर आगे बढ़ ा जा रहा है। प्रमुख सचिव माइन्स टी रविकान्त ने स्वागत करते हुए बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है, जब माइनिंग सेक्टर में निवेशकों ने आगे बढ़ कर रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि आज सहित माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में एक लाख 41 हजार 184 करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षिरत हो चुके हैं। आज 63 हजार 463 करोड़ के एम.ओ.यू.संपन्न हुए हैं। वहीं, इससे पहले 77 हजार 721 करोड़ रु. के एम.ओ.यू. संपन्न हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रिफाइनरी, पेट्रोलियम, राजस्थान स्टेट गैस, आर.एस.एम.एम. और खान विभाग की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। निदेशक माइन्स भगवती प्रसाद कलाल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देश प्रदेश के खनिज क्षेत्र के विशेषज्ञ, खनिज लीजधारक और खनिज क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागी उपस्थित थे।

भाजपा व नैशनल कॉन्फ्रेंस विधायक फिर भिड़े

श्रीनगर, 08 नवंबर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए।

> ■ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली का पोस्टर लहराने के कारण भाजपा और सत्तारूढ़ दल के विधायकों में फिर भिड़न्त हुई।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने 'पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा' जैसे नारे लगाए और उनकी सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से भिड़ंत हो गई। बीजेपी विधायक आसन के समक्ष भी आ गए, जिसके बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने निर्देश दिया कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए।

उन्हें बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया।

मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड़ अपनी "फेयरवैल स्पीच" में भावुक हुए

उन्होंने कहा मैं आखिरी समय तक न्याय करना चाहता था और मैं संतुष्ट हूँ

नई दिल्ली, 08 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं। शुक्रवार (8 नवंबर) उनका आखिरी कार्यकारी दिन था। इस मौके पर उनका फेयरवेल कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई मजेदार किस्से सुनाए। अपने आखिरी कार्य दिवस पर विदाई भाषण (फेयरवेल स्पीच) में उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ कर देना। यह अदालत ही है जो मुझे आगे बढ़ाती है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम संभवत: जानते तक नहीं हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। यदि मैंने कभी अदालत में किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया मुझे माफ कर दें। इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद।

डी.वाय. चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह भी खुलासा किया कि वह सेरिमोनियल बेंच के सूचीबद्ध होने से पहले जितना हो सके उतने मामले सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, "जब मेरे कोर्ट स्टाफ ने कल मुझसे पूछा कि सेरिमोनियल बेंच को किस समय सूचीबद्ध किया जाएगा, तो मैंने कहा कि मैं जितने मामले कर सकता हूं, करूंगा। मैं आखिरी समय तक न्याय करने का अवसर नहीं चूकना चाहूंगा।"

> ■ सी.जे.आई. ने कहा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो माँ ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय में जो धन है, वह भौतिक धन नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, कल रात मैं सोच रहा था कि दोपहर 2 बजे कोर्ट खाली हो जाएगा और मैं स्क्रीन पर खुद को देख रहा हूं। मैं आप सभी की उपस्थिति से अभिभूत हूं।इतने सारे लोगों की कोर्ट में उपस्थित से मैं खुद को विनम्र महसूस कर रहा हूं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन डी. वाय. चंद्रचूड़ ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि वह अब देश के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करेंगे।उन्होंने कहा कि मैं कल से न्याय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि हम जो काम करते हैं वह मामले बना या बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पीठ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के सक्षम हाथों में सौंपकर वे आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायधीश होंगे।

विदाई समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि इतने बड़े सम्मान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद...मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं...मेरा जब मैं बड़ा हो रहा था तो माँ ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय में जो धन है, वह भौतिक धन नहीं है।

ज्ञातव्य है कि, डी. वाय. चंद्रचूड़ ने दो साल पहले नवंबर में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। वह मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। सीजेआई ने आज रिटायर होने से पहले उन्होंने कई याचिकाओं का भी निपटारा किया।

ट्रम्प दोस्त हैं, इस भ्रम में नहीं रहना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाएगी। इस स्थिति से अन्य देशों के लोगों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन उपभोक्ता अपने घरेलू मामलों में जरूर परेशान हो जायेंगे।

लेकिन अमेरिकन अर्थव्यवस्था की स्थिति अन्य देशों की स्थिति को निश्चित रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित करती है। अमेरिका की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था अमेरिका के वित्तीय बाजारों तथा पूरी दुनिया के वित्तीय प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।

जिन विचित्र आर्थिक नीतियों का वादा किया गया है, उन्हें जमीन पर उतारने का अवश्यंभावी परिणाम यह होगा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपने कदम अपने वादों से पीछे हटाने पड़ेंगे। और इस स्थिति में, वे अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगे।

आर्थिक नीतियों की शर्तों के अलावा, डॉनल्ड ट्रम्प के अन्य वादे भी उतने ही हानिकारक हो सकते हैं। महसूस किया जा रहा है कि ट्रम्प शीघ्र ही यूक्रेन को दिया जा रहा समर्थन वापस ले लेंगे और कुछ ही समय में यूक्रेन की हार हो सकती है। यूक्रेन के स्पष्ट और शीघ्र पतन के बाद रूस की विजय से हिंसा और मानव हत्या खत्म हो सकती है, लेकिन इससे एक बहुत अलग तरह की परंपरा बनेगी, कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में ताकत ही सबकुछ है।

इस तरह का परिणाम चीन को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पहला नम्बर आएगा ताईवान और उसकी स्वतंत्रता का। चीन ताईवान के विरोध को खत्म करके ताईवान पर अपना आधिपत्य जमाना चाहेगा।

चीन अपनी शक्ति और महत्व को बढ़ाने के प्रयास में यू.एस.ए. के साथ समझौता कर सकता है। ताकि, अपनी नीतियों पर चलने के लिए वो स्वतंत्र हो जाए। चूँकि, डॉनल्ड ट्रम्प ऐसे व्यक्ति हैं, जो समझौतों में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने स्वयं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो चीन की बात मान सकते हैं। इस समय भारत को ट्रम्प और उनकी हरकतों से सावधान रहना चाहिए। चुनाव से पहले भारतीयों की प्रशंसा करने वाले ट्रम्प बड़ी आसानी से वो सब भूल कर अपने, "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" के लक्ष्य को हासिल करने में जुट सकते हैं।

विश्व के लिए यह अच्छा होगा कि वो ट्रम्प के खेल के नियमों पर खेले। उनके साथ समझौते करे लेकिन उनसे कभी भी स्थाई प्रतिबद्धता की उम्मीद ना करे। ट्रम्प पर कभी विश्वास ना करे लेकिन उनके बनाए खेल के नियमों पर चलता रहे।

सरकारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को इस नियम की जानकारी मिल सके।

सरकार के इस आदेश में "सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003" का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का उपभोग पूर्णत: निषिद्ध है।

राज्य की 23 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि एन.जी.टी. ने गत 8 अगस्त को आदेश दिया था कि जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खनन लाइसेंस का 7 नवंबर तक राज्य स्तरीय प्राधिकरण से भी पुन: परीक्षण कराया जाए। ऐसा नहीं करने पर एन.जी.टी. ने खनन कार्य बंद करने को कहा था। इस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एन.जी.टी. में प्रार्थना पत्र पेश कर पुन: परीक्षण के लिए समय बढ़ाने की गुहार की थी, जिसे एन.जी.टी. ने गत दिनों खारिज कर दिया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। एस.एल.पी. में कहा गया कि एन.जी.टी. के आदेश की पालना के लिए 12 माह के समय की जरूरत है। इस बीच यदि प्रदेश की करीब 23 हजार खान बंद हुईं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और करीब 15 लाख लोगों की नौकरियां संकट में आ जाएंगी। वहीं, प्रदेश में निर्माण गतिविधियां भी रुकेंगी और निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इन खनन लाइसेंस में से आधे से ज्यादा लोग कमजोर वर्ग, शहीदों के परिवार और आरक्षित वर्ग के लोग हैं। ऐसे में खनन कार्य नहीं होने से इन परिवारों और खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े लाखों लोग प्रभावित होंगे। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एन.जी.टी. के आदेश की समय सीमा को एस.एल.पी. की सुनवाई तक बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की सात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आया उसके मुख्य बिंदू थे कि एक शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में देखे जाने के क्या संकेत हैं? क्या एक संस्थान को इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना जा सकता है क्योंकि उसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक ने की है या इसका संचालन कोई अल्पसंख्यक करता है।

बैंच के समक्ष विचार के लिए चार प्रमुख मुद्दे थे : पहला यह कि क्या युनिवर्सिटी जिसका स्थापना एवं संचालन कानून के तहत हो रहा हो अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है, दूसरा यह कि एस. अजीज़ बाशा बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट का 1967 का फैसला जिसने ए. एम. यू. को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इन्कार किया था, तीसरा पक्ष है 1981 में ए. एम. यू. एक्ट में किया गया संशोधन जिसने युनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था, चौथा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ए. एम. यू. बनाम मलय शुक्ला केस में जो फैसला दिया था व 1967 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित था जिसके आधार पर कहा गया कि ए. एम. यू. एक गैर मुस्लिम संस्थान है इसलिए मैडिकल पी. जी. कोर्स में मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित नहीं कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इन्कार्पोरेशन" (समावेश) ओर "एस्टैब्लिश" स्थापना शब्द को परस्पर बदल कर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता चूंकि ए. एम. यू. कानून द्वारा इनकार्पोरेट है इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक ने नहीं की है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि युनिवर्सिटी की स्थापना संसद ने की है क्योंकि संसद द्वारा पारित कानून कहता है यह युनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पारित किया गया है।

युनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है इसके लिए कोर्ट को शुरूआत से देखना होगा और पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका दिमाग था, किसने जमीन के लिए फंड जुटाया क्या अल्पसंख्यकों ने इसकी मदद की। यह जरूरी नहीं संस्थान की स्थापना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के हित के लिए की गई है पर यह भी सत्य है कि इसमें मुसलमानों का हित निहित है।

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

जगदलपुर, 08 नवंबर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए तथा उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किये गये।

दक्षिण बस्तर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि बीजापुर जिले के छत्तीसगढ़ -तेलंगाना सीमा क्षेत्र के उसूर, बासागुड़ा पामेड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर केन्द्रीय सुरक्षा बल, कोबरा बटालियन व जिला रिजर्व पुलिस संयुक्त बल को इस इलाके में आज सबेरे भेजा गया जहां दोपहर से ही गोलबारी हो रही थी। कश्यप ने बताया कि घटना स्थल पर तलाशी अभियान के दौरान दो नक्सलियों के शव बरामद किये गये। साथ ही, मौके से एक एस.एल.आर. रायफल तथा अलग-अलग स्थानों से बंदूकों सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। नक्सलियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

अजित पवार ने योगी के "बंटेंगे तो कटेंगे" नारे से किनारा किया

उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी

मुबंई, 08 नवंबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी अपनी रैलियों में "बटेंगे तो कटेंगे" का भी नारा दे रहे हैं और लोगों से एकजुट होकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जीत दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव प्रचार के बीच भाजपा की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के "बटेंगे तो कटेंगे" नारे से अलग कर लिया है।

सीएम योगी के चुनावी नारे "बटेंगे तो कटेंगे" के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते, महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं है। पवार ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी।

> ■ उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि दूसरे राज्यों से आये लोग अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि जब दूसरे राज्यों से लोग महाराष्ट्र आते हैं, तो वे अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बयान देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और यहां के सभी चुनावों का यह इतिहास रहा है। पवार ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते।

नागा विद्रोहियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिकार को "सरकारी तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी तथा स्वीकार किया गया था।" मुईवाह ने इस मामले के समाधान के लिए "तृतीय पक्ष हस्तक्षेप" (थर्ड पार्टी इन्टरवेंशन) प्रस्तावित किया है तथा धमकी दी है कि "अगर कोई राजनैतिक पहल नहीं की जाती है" तो उनका ग्रुप फिर से हिंसा शुरू कर देगा।

एक बयान में मुविआह ने कहा, "भारत और नागा जाति के बीच यह हिंसक टकराव शुद्ध रूप से 2015 के "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" की भावना का सम्मान करने की भारत और उसके नेतृत्व की वचन बद्धता को तोड़े जाने तथा जान बूझ कर विश्वासघात किये जाने के कारण ही होगा।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा : "उस महा विनाशकारी तथा प्रतिकूल स्थिति के लिए भारत और उसका नेतृत्व जिम्मेदार होगा, जो स्थिति भारत और नागा जाति के बीच हिंसक सशस्त्र संघर्ष से पैदा होगी"

गृह मंत्रालय ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

क्लीन एनर्जी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्लीन टैक्नॉलजी के लिए अमेरिका की मांग में कमी से कुछ उत्पादों की कीमतें घट सकती हैं इससे भारत को लाभ होगा। क्योंकि यह अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। कम कीमत से अक्षय ऊर्जा की लागत कम हो सकती है।

हालांकि भारत में भी कई चुनौतिया है। कार्बन उत्सर्जन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता कम होने से विश्व स्तर पर ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ चल रहे प्रयासों में कमी आएगी। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में परिवर्तन के तहत भारत के क्लीन टैक एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

मलिंगा को 2 सप्ताह में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा सकता है। मलिंगा पहले दो सप्ताह में सरेंडर करें। उसके बाद ही अदालत स्पैशल लीव पिटीशन (एस.एल.पी.) पर सुनवाई करेगी।

मामले के अनुसार, जे.वी.वी. एन.एल. के सहायक अभियंता हर्षाधिपति की ओर से मार्च, 2022 में बाड़ी थाने में मलिंगा और उसके साथियों पर मारपीट करने सहित एस.सी., एस.टी. एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। वहीं, 17 मई, 2022 को हाईकोर्ट ने मलिंगा को जमानत का लाभ दे दिया। इस आदेश को पीड़ित ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जमानत मिलने के बाद उसे धमकाया गया और मलिंगा ने जुलूस निकाल कर कानून का मजाक उड़ाया। मलिंगा के खिलाफ गवाह को धमकाने को लेकर एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत 5 जुलाई को मलिंगा को मिली जमानत को रद्द कर उसे तीस दिन में सरेंडर करने को कहा।

इस आदेश को मलिंगा ने एस. एल.पी. के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसपर गत 22 जुलाई को अंतरिम सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मलिंगा को राहत दी थी।

'दिल्ली में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ कर 377 तक पहुंच गया था।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और पराली जलाने की घटनाओं के मामले में संशोधित पर्यावरणीय मुआवजा लगाने को सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये हैं।

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करने को तैयार हैं पुतिन

पुतिन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि रूस अपने विशेष सैन्य अभियान का लक्ष्य नहीं बदलेगा

मॉस्को, 08 नवंबर। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने को तैयार हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे रूस की मांगों में बदलाव के लिए भी तैयार हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, "राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा कि विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्य बदल रहे हैं। इसके विपरीत, उन्होंने बार-बार कहा है कि वे वही रहेंगे।" पेसकोव ने आगे कहा, "यह सब हमारे देश के सुरक्षा हितों, वहां रहने वाले रूसी लोगों के सुरक्षा हितों से संबंधित है। इसलिए, यहां किसी भी बदलाव की कोई बात नहीं हुई।"

> ■ ट्रम्प ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वे 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध समाप्त कर सकते हैं।

पुतिन ने 14 जून को युद्ध की समाप्ति के लिए अपनी शर्तें तय की थी। उन्होंने कहा था कि पहले यूक्रेन को अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा और रूस द्वारा दावा किए गए चार क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाना होगा। हालांकि, यूक्रेन ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आत्मसमर्पण के समान होगा। इसके खिलाफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक "विक्ट्री प्लान" पेश की है जिसमें पश्चिम से अतिरिक्त सैन्य सहायता के लिए अनुरोध शामिल हैं।

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान, यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य और वित्तीय सहायता के पैमाने की आलोचना की थी। उन्होंने दावा किया था कि वह 24 घंटे के भीतर युद्ध समाप्त कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया था कि उनकी योजना कैसे काम करेगी।

तथापि, पुतिन ने गुरुवार को ट्रंप को अमेरिकी चुनाव जीतने पर बधाई दी। पुतिन ने जुलाई में एक बंदूकधारी द्वारा उनकी हत्या करने की कोशिश करने पर साहस दिखाने के लिए ट्रंप की प्रशंसा की। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

"संडे मार्केट" ग्रैनेड हमले के 3 आतंकवादी गिरफ्तार

श्रीनगर, 08 नवंबर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल में राजधानी श्रीनगर के व्यस्ततम 'संडे मार्केट' में हुए ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा लिया है और इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरधी ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गत 30 नवंबर को दोपहर करीब 14.15 बजे श्रीनगर के 'संडे मार्केट' के बीचों-बीच ग्रेनेड फेंका गया, जिससे 12 नागरिक घायल हुए। श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में बहुत मेहनत की और कुछ ही समय में मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने अपनी टीमों को काम सौंपा और इस कृत्य में शामिल तीन आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की पहचान ओसामा यासीन शेख, उमर फैयाज शेख और अफनान मंसूर शेख के रूप में हुई है। ये तीनों इखराज पोरा श्रीनगर के निवासी हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ओसामा यामीन शेख पहले से ही आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने के इतिहास के साथ 'ओवर ग्राउंड वर्कर' के रूप में सूचीबद्ध है तथा उसने ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य ने टोही सहित, योजना और रसद सहायता प्रदान की। उसे पहले वर्ष 2018 में नौहट्टा पुलिस स्टेशन में आतंकी गतिविधियों के संबंध में एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा होने से पहले कई महीनों तक सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908